देवेन्द्र सिंह चौहान, आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र संख्या—**68** /2023 /25 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। दिनांकःलखनऊ: नि. 01,2023

विषय:— रिट याचिका संख्या—156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम—2018, तथा किमिनल मिस जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 20591/2021 रिवन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही बनाम उ०प्र० राज्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2021 का अनुपालन कराये जाने तथा व्यापक प्रचार—प्रसार करते हुए जनपद/थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को जागरूक किये जाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा—निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

Emiliar . 1 ".

आप अवगत हैं कि विवेचनाधीन एवं मा० न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित किसी भी साक्षी के साथ कोई घटना घटित हो जाने के पश्चात न केवल अभियोजन प्रक्रिया

शासनादेश सं0-307/छ:-पु0-9-19-31(16)/2019, दि0 22.02.19 शासनादेश सं0-3032(2)/छ:-पु0-9-31(122)/2019, दि0 11.10.19 अर्द्ध0शा0 पत्र सं0-2490/छ:-पु0-9-19-31(16)/2019, दि0 27.08.19 कार्यालय ज्ञाप सं0-2359/ छ:-पु0-9-19-31(16)/2019, दि0 28.07.19 पत्र सं0-डीजी-परिपत्र सं-15/2019, दिनांक 04.04.2019 पत्र सं0-3415/छ:-पु0-9-20-31(16)/2019, दि0 14.12.20 पत्र सं0-डीजी-सात-एस-14(1)2019, दि0 19.12.2020 पत्र सं0-डीजी परिपत्र संख्या-21/2021, दि0 24.06.2021

प्रभावित होती है वरन पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। यह भी प्रकाश में आया है कि गम्भीर अपराधों के अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को विभिन्न प्रकार से डरा—धमका कर, प्रलोभन देकर या अन्य प्रकार से प्रभावित करके अभियोजन प्रक्रिया को प्रभावित

करने का प्रयास करते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन एवं राज्य की कानून—व्यवस्था पर पड़ता है। रिट याचिका संख्या—156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में साक्षी सुरक्षा योजना—2018, के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से समय—समय पर विस्तृत शासनादेश तथा इस मुख्यालय स्तर से परिपत्र निर्गत किये गये हैं, जिनका उल्लेख पार्श्वाकित बॉक्स में किया गया है।

2— उपरोक्त के क्रम में क्रिमिनल मिस0 बेल प्रार्थना पत्र संख्या—20591/2021 रिवन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2021 में साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 का व्यापक प्रचार प्रसार करने और योजना की जानकारी प्रत्येक थाना स्तर तक पहुंचाने के लिये योजनाबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं, इसके सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा निर्गत डीजी परिपत्र—21/2021 में यथोचित निर्देश प्रेषित किये जा, चुके हैं।

Jummans2

- 3— मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन ने पत्र संख्याः2309—छः—पु0—9—21—31(16)/2019, दिनांकित 18.06.2021 द्वारा साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के प्रचार—प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उ०प्र० शासन द्वारा निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० को भी साक्षी सुरक्षा योजना—2018 का वृहद प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश पत्र संख्याः2308—छः—पु0—9—21—31(16)/ 2019, दिनांकित 18.06.2021 द्वारा निर्गत किये गये हैं।
 - 4— अतः मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत आदेश तथा उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में साक्षी सुरक्षा योजना—2018 का पूर्ण मनोयोग से अनुपालन कराने, इसके प्रति जागरुकता बढाने, योजना की जानकारी प्रत्येक थाने तक पहुंचाने तथा पुलिस कर्मियों को साक्षी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:—
 - साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के प्रस्तर—2(सी) का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) अनुभाग—9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के आदेश दिनांक 28.07.2019 के कम में समस्त जनपदों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलाधिकारी / अभियोजन प्रमुख सम्बन्धित जनपद (सदस्य सचिव) व जनपद पुलिस प्रमुख (सदस्य) को सम्मिलित करते हुए स्टैण्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी द्वारा साक्षी सुरक्षा स्कीम के अर्न्तगत विटनेस प्रोटेक्शन से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त साक्षियों की सुरक्षा हेतु समुचित आदेश पारित किया जायेगा। इस साक्षी सुरक्षा सम्बन्धी आदेश को साक्षी सुरक्षा सेल के माध्यम से लागू कराया जायेगा। समस्त जनपदों में गठित उक्त स्टैण्डिंग कमेटी के द्वारा पारित साक्षी सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। कमेटी के समक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों की समयबद्ध रूप से समीक्षा करते हुए साक्षियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करायी जाये।
 - साक्षी सुरक्षा योजना—2018 को पूर्ण रूप से लागू किये जाने के कम में शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में विटनेस प्रोटेक्शन हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में उपरोक्त वर्णित गठित कमेटी की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बैठक के लिए समय का अनुरोध करते हुए उन आवेदन पत्रों पर 'विटेनस प्रोटेक्शन आर्डर' पारित कराकर लागू कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त बैठक नियमित रूप से हो सके।

साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के अन्तर्गत जनपद/किमश्नरेट स्तर पर गिठत "विटनेस प्रोटेक्शन सेल" के किमीयों तथा कार्यों की समीक्षा जनपद पुलिस प्रभारी द्वारा नियमित रूप से की जाये। "विटनेस प्रोटेक्शन सेल" का प्रभारी जनपद में किसी विरष्ठ अधिकारी को बनाया जायेगा, जो विटनेस प्रोटेक्शन आर्डर के अनुरूप साक्षी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित

किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

swemm3

- एमपी / एमएलए न्यायालयों में विचाराधीन गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित वादों के साक्षियों / गवाहों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के प्रावधानों के अनुसार यथोचित सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये।
- साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के अनुच्छेद—12 के अनुसार इस योजना का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाये। योजना की मुख्य विशेषताओं से साक्षियों को अवगत कराया जाये। अन्वेषण अधिकारियों / विवेचकों का इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित किया जाये कि वे इसकी मुख्य विशेषतायें समस्त साक्षियों को बताये। किसी भी साक्षी द्वारा यदि खतरे की आंशका व्यक्त की जाती है तो इससे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुए उसे उचित सुरक्षा प्रदान की जाये। साक्षियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की शिथिलता / लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस आयुक्त द्वारा प्रति माह इसकी गहन समीक्षा व कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाये।
- किसी भी साक्षी का न्यायालय में साक्ष्य/जिरह की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उसके सुरक्षा के सम्बन्ध में साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के अर्न्तगत गठित कमेटी द्वारा आसन्न संकट आंकलन के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु विचार करते हुए सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है।
- साक्षी सुरक्षा योजना के प्रावधानों के प्रति जागरुकता बढ़ाने तथा फील्ड स्तर पर पुलिस किमयों को साक्षी सुरक्षा योजना के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को 'नोडल अधिकारी' के रूप में दायित्व दिया जाता है। अपर पुलिस महानिदेशक अपने जोन के प्रत्येक जनपद में साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के प्रावधान एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से परिचित कराने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन करेंगें। इस कार्यशाला का एक सत्र जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्बोधित किया जायेगा। समस्त पुलिस किमश्नरेट में उक्त कार्यवाही पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में सम्पादित की जाये।
- साक्षी सुरक्षा योजना—2018 में अंकित निर्देशों तथा साक्षियों के अधिकार के सम्बन्ध में समस्त जनपदों के प्रत्येक थाने में दृष्टव्य स्थान पर एक नोटिस बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के अन्तर्गत सुरक्षा हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया तथा सम्बन्धित अधिकारियों का दूरभाष नम्बर बड़े अक्षरों में अंकित किया जायेगा, जिससे थाने में आने वाले पीड़ित एवं जनसाधारण व्यक्ति योजना के प्रावधानों से परिचित हो सकें और योजना का लाभ प्राप्त कर सकें ।
- साक्षी सुरक्षा योजना—2018 का विधिवत प्रचार—प्रसार कराये जाने व समस्त कर्मियों की इस सम्बन्ध में ब्रीफिंग किये जाने हेतु जोन / परिक्षेत्र / जनपद / किमश्नरेट स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों को 'नोडल अधिकारी' नियुक्त किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक थाने में ड्यूटी ब्रीफिंग के समय थाना प्रभारी द्वारा साक्षी सुरक्षा योजना—2018 के मुख्य बिन्दुओं को थाने के समस्त कार्मिकों को पढ़कर सुनाया जायेगा तथा इसका उल्लेख

Junning

जनरल डायरी में भी किया जायेगा। साक्षी सुरक्षा योजना–2018 से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही की समीक्षा जोन रतर पर प्रतिमाह, परिक्षेत्र रतर पर पाक्षिक तथा जनपद स्तर पर प्रति सप्ताह की जाये।

साक्षी सुरक्षा योजना—2018 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु उ०प्र० शासन तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० की ओर से जो शासनादेश एवं परिपत्र निर्गत किये गये हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी नियमित समीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्त द्वारा की जायेगी।

5— अतः साक्षी सुरक्षा योजना—2018 एवं इससे सम्बन्धित मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेशों का गहन परिशीलन करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। साक्षियों की सुरक्षा हेतु निर्गत समस्त शासनादेशों व परिपत्रों का अध्ययन कर साक्षी सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निष्पक्ष व न्यायपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे किसी भी साक्षी के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाये तथा इस योजना का उचित लाभ साक्षियों को प्राप्त हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेकर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए कार्यवाही की जाये।

भवदीय आर्थि ० १/३/४३ (देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश। समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश। प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्रo I
- 2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
- 4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ०प्र० ।